

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 1122 सन 2021

अनवान :-

1. भगतसिंह पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सतपाल पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुभाष चन्द्र पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. मैना पत्नी नत्थुराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. शारदादेवी पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. कृष्णादेवी पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. सुमित्रा पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. कमलेश पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 02.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 208/202 की कुल 14.4210 हैक् में से 25/57 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नत्थुराम पुत्र धनपतराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नत्थुराम पुत्र धनपतराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता का नाम नत्थुराम पुत्र धनपतराम का देहान्त हो चुका है नत्थुराम पुत्र धनपतराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो नत्थुराम पुत्र धनपतराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 वादी की बहने है एवं नत्थुराम पुत्र धनपतराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की नत्थुराम पुत्र धनपतराम के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नत्थुराम पुत्र धनपतराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता का नाम नत्थुराम पुत्र धनपतराम का देहान्त हो चुका है नत्थुराम पुत्र धनपतराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो नत्थुराम पुत्र धनपतराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 208/202 की कुल 14.4210हैक् में से 25/57 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नत्थुराम पुत्र धनपतराम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नत्थुराम पुत्र धनपतराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता का नाम नत्थुराम पुत्र धनपतराम का देहान्त हो चुका है नत्थुराम पुत्र धनपतराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो नत्थुराम पुत्र धनपतराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 208/202 की कुल 14.4210हैक् में से 25/57 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नत्थुराम पुत्र धनपतराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर 5.4648हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब का एवं शेष 0.8602हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 2.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नाहर ( हनुमानगढ़ )  
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
कैम्प कोर्ट... पिचकराई.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. भगतसिंह पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।  
वादी

बनाम

- 1 सतपाल पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
- 2 सुभाष चन्द्र पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
- 3 मैना पत्नी नत्थुराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
- 4 शारदादेवी पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
- 5 कृष्णादेवी पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
- 6 सुमित्रा पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
- 7 कमलेश पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
- 8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1122 सन 2021 निर्णय दिनांक- 02.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 208/202 की कुल 14.4210हैक् में से 25/57 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नत्थुराम पुत्र धनपतराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर 5.4648हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब का एवं शेष 0.8602हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
कैम्प कोर्ट...पिचकराई